अध्याय - I

सामान्य

अध्याय-I: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 2013-14 के दौरान झारखण्ड सरकार द्वारा सृजित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त हुए राज्यों को आवंटित विभाज्य संघीय करों, शुल्कों के निवल प्राप्ति में राज्य का अंश एवं सहायता अनुदान तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तत्संबंधी आँकड़े **तालिका - 1.1.1** में उल्लिखित हैं।

तालिका - 1.1.1

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	**राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व**					
	• कर राजस्व	4,500.12	5,716.63	6,953.89	8,223.67	9,379.79
	• कर-भिन्न राजस्व	2,254.15	2,802.89	3,038.22	3,535.63	3,752.71
	कुल	**6,754.27**	**8,519.52**	**9,992.11**	**11,759.30**	**13,132.50**
2	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश	5,547.57	6,154.35	7,169.93	8,188.05	8,939.32[1]
	• सहायता अनुदान	2,816.63	4,107.25	5,257.41	4,822.20	4,064.97
	कुल	**8,364.20**	**10,261.60**	**12,427.34**	**13,010.25**	**13,004.29**
3	**राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ (1 एवं 2)**	**15,118.47**	**18,781.12**	**22,419.45**	**24,769.55**	**26,136.79**
4	**1 की 3 से प्रतिशतता**	**45**	**45**	**45**	**47**	**50**

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2013-14 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व (₹ 13,132.50 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 50 प्रतिशत था। वर्ष 2013-14 के दौरान शेष 50 प्रतिशत प्राप्तियाँ भारत सरकार से थी।

---

[1] विस्तृत विवरण के लिये विवरणी संख्या 11 - वर्ष 2013-14 के सरकार के वित्त लेखे में लघु शीर्षों के राजस्व का विस्तृत लेखा देखें। इस विवरणी में वित्त लेखे में "ए-कर राजस्व" के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 0020-निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028-आय एवं व्यय पर अन्य कर (लघुशीर्ष-107-व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर को छोड़कर), 0032-धन कर, 0044-सेवा कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038- संघ उत्पाद शुल्क एवं 0045-वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, लघु शीर्ष-901 निवल प्राप्तियों में राज्यों को समनुदिष्ट हिस्सा के अधीन दर्ज आँकड़ों को राज्य द्वारा सृजित राजस्व से अलग कर और विभाज्य संघीय करों में राज्य के अंश में सम्मिलित किया गया है।

1.1.2 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान सृजित किये गये कर राजस्व का विवरण **तालिका - 1.1.2** में दिया गया है।

तालिका - 1.1.2
सृजित कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2012-13 की तुलना में 2013-14 में वृद्धि (+) कमी (-) की प्रतिशतता
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	ब.अ.	4,200.00	4,503.00	5,633.25	6,650.00	7,874.50	(+) 18.41
		वास्तविक	3,597.20	4,473.43	5,522.02	6,421.61	7,305.08	(+) 13.76
2	राज्य उत्पाद	ब.अ.	500.00	525.00	445.00	650.00	700.00	(+) 7.69
		वास्तविक	322.75	388.34	457.08	577.92	627.93	(+) 8.65
3	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	ब.अ.	274.94	302.50	450.00	490.00	568.00	(+) 15.92
		वास्तविक	238.20	328.35	401.17	492.40	502.61	(+) 2.07
4	वाहनों पर कर	ब.अ.	400.00	440.00	356.00	550.00	639.40	(+) 16.25
		वास्तविक	234.21	312.37	391.92	465.36	494.79	(+) 6.32
5	विद्युत पर कर एवं शुल्क	ब.अ.	52.49	53.56	100.00	142.00	161.00	(+) 13.38
		वास्तविक	46.87	53.50	72.76	110.72	145.79	(+) 31.67
6	भू-राजस्व	ब.अ.	60.00	66.00	83.49	82.00	95.00	(+) 15.85
		वास्तविक	41.28	130.65	52.94	96.38	229.84	(+) 138.47
7	माल एवं यात्रियों पर कर-स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर	ब.अ.	64.06	65.37	30.00	20.00	अनिर्धारित	-
		वास्तविक	12.44	21.08	40.95	0.51	1.08	(+) 111.76
8	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	ब.अ.	9.00	12.00	36.75	28.00	34.50	(+) 23.21
		वास्तविक	7.17	8.91	15.05	15.28	22.76	(+) 48.95
9	व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर	ब.अ.	एस.ओ.-7 दिनांक 29 जून 2012 द्वारा लागू			65.00	80.00	(+) 23.08
		वास्तविक				43.49	49.91	(+) 14.76
कुल		**ब.अ.**	**5,560.49**	**5,967.43**	**7,134.49**	**8,677.00**	**10,152.40**	**(+) 17.00**
		वास्तविक	**4,500.12**	**5,716.63**	**6,953.89**	**8,223.67**	**9,379.79**	**(+) 14.06**

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे एवं झारखण्ड सरकार के राजस्व एवं प्राप्तियों की विवरणी के अनुसार पुनरीक्षित अनुमान।

कर राजस्व के कुछ मुख्य शीर्षों के संबंध में 2012-13 की तुलना में 2013-14 में प्राप्तियों में विचलन के निम्न कारण थे:

बिक्री, व्यापार आदि पर कर: विभाग द्वारा 13.76 प्रतिशत की वृद्धि का श्रेय बेहतर एवं प्रभावकारी कर प्रशासन तथा ₹ 72.52 करोड़ के बकाया का व्यापक वसूली को दिया गया (जुलाई 2014)।

विद्युत पर कर एवं शुल्क: विभाग द्वारा 31.67 प्रतिशत की वृद्धि का श्रेय बेहतर कर प्रशासन को दिया गया (जुलाई 2014)।

भू-राजस्व: विभाग द्वारा 138.47 प्रतिशत की वृद्धि का श्रेय ₹ 129.00 करोड़ बकाया राशि के जमा होने को दिया गया (जून 2014)।

वस्तुओं एवं सेवाओं अन्य कर एवं शुल्क: 48.95 प्रतिशत वृद्धि का श्रेय बेहतर एवं प्रभावकारी कर प्रशासन एवं क्रिकेट मैचों पर करारोपण को दिया गया (जुलाई 2014)।

हमारे पूछे जाने (अप्रैल एवं जुलाई 2014 के बीच) के बावजूद वाणिज्यकर विभाग ने व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर के संबंध में 14.76 प्रतिशत की वृद्धि का कारण प्रस्तुत नहीं किया।

1.1.3 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान सृजित कर-भिन्न राजस्व के विवरण **तालिका - 1.1.3** में दर्शाये गये हैं:

तालिका - 1.1.3

सृजित कर-भिन्न राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2012-13 की तुलना में 2013-14 में वृद्धि (+) कमी (-) की प्रतिशतता
1	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	ब.अ.	2,052.11	2,086.76	2,759.75	3,209.92	3,500.00	(+) 9.04
		वास्तविक	1,733.15	2,055.90	2,662.79	3,142.47	3,230.22	(+) 2.79
2	वानिकी एवं वन्य जीवन	ब.अ.	11.35	11.79	4.17	4.80	5.25	(+) 9.38
		वास्तविक	3.57	4.76	3.71	4.22	5.17	(+) 22.52
3	ब्याज प्राप्तियाँ	ब.अ.	270.48	279.41	100.64	65.00	115.00	(+) 76.92
		वास्तविक	153.20	98.74	44.16	72.23	69.48	(-) 3.81
4	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	ब.अ.	10.02	11.15	33.00	19.00	20.00	(+) 5.26
		वास्तविक	13.49	23.85	15.42	20.48	5.24	(-) 74.41
5	अन्य	ब.अ.	670.91	740.53	711.10	542.37	703.40	(+) 29.69
		वास्तविक	350.74	619.64	312.14	296.23	442.60	(+) 49.41
कुल		ब.अ.	**3,014.87**	**3,129.64**	**3,608.66**	**3,841.09**	**4,343.65**	**(+) 13.08**
		वास्तविक	**2,254.15**	**2,802.89**	**3,038.22**	**3,535.63**	**3,752.71**	**(+) 6.14**

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे एवं झारखण्ड सरकार के राजस्व एवं प्राप्तियों की विवरणी के अनुसार पुनरीक्षित अनुमान।

विभागों ने हमारे आग्रह के बावजूद आधिक्य/कमी का कारण प्रस्तुत नहीं किया (नवम्बर 2014)।

1.2 राजस्व के बकाये का विश्लेषण

31 मार्च 2014 को राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों से संबंधित राजस्व के बकाये की राशि ₹ 3,016.16 करोड़ थी, जिसमें ₹ 1,368.51 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक से बकाया था, जैसा कि **तालिका - 1.2** में वर्णित है।

तालिका -1.2

राजस्व बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2014 को बकाया राशि	31 मार्च 2014 को पाँच वर्षों से अधिक से बकाया राशि	अभ्युक्तियाँ
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,704.67	946.25	₹ 1,704.67 करोड़ में से ₹ 158.77 करोड़ के माँग की वसूली के लिए भू-राजस्व के बकाये की तरह नीलामपत्रवाद दायर किये गये। ₹ 768.85 करोड़ एवं ₹ 170.04 करोड़ की वसूली पर क्रमश: न्यायालयों एवं अन्य अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा रोक लगायी गयी। ₹ 14.65 करोड़ एवं ₹ 15.85 करोड़ की माँग पर क्रमश: सुधार/पुनर्विचार आवेदन एवं व्यवसायी/पार्टी के दिवालिया हो जाने के कारण रोक लगायी गयी। शेष ₹ 576.51 करोड़ के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी है (नवम्बर 2014)।
2.	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	1,024.74	346.35	31 मार्च 2014 को बकाये ₹ 1,024.74 करोड़ में से ₹ 499.02 करोड़ माँग की वसूली के लिए भू-राजस्व के बकाये की तरह नीलामपत्रवाद दायर किये गये, ₹ 398.94 करोड़ एवं ₹ 8.67 करोड़ की वसूली पर क्रमश: न्यायालयों एवं अन्य अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा रोक लगायी गयी। ₹ 4.95 करोड़ एवं ₹ 2.36 करोड़ की माँग की वसूली पर क्रमश: सुधार/पुनर्विचार के लिये आवेदन एवं व्यवसायी/पार्टी के दिवालिया हो जाने के कारण रोक लगायी गयी। शेष ₹ 110.80 करोड़ के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी है (नवम्बर 2014)।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2014 को बकाया राशि	31 मार्च 2014 को पाँच वर्षों से अधिक से बकाया राशि	अभ्युक्तियाँ
3.	वाहनों पर कर	262.75	67.53	₹ 262.75 करोड़ में से ₹ 254.53 करोड़ माँग की वसूली के लिए भू-राजस्व के बकाये की तरह नीलामपत्रवाद दायर किये गये, ₹ 1.41 लाख की वसूली पर न्यायालयों द्वारा रोक लगायी गयी। शेष ₹ 8.21 करोड़ के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी है (नवम्बर 2014)।
4.	राज्य उत्पाद	24.00	8.38	31 मार्च 2014 को बकाये के अंत शेष ₹ 24.00 करोड़ में से ₹ 20.96 करोड़ माँग की वसूली के लिए भू-राजस्व के बकाये की तरह नीलामपत्रवाद दायर किये गये, ₹ एक करोड़ की वसूली पर न्यायालयों एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक लगायी गयी। पार्टियों के दिवालिया हो जाने के कारण ₹ 10.55 लाख की वसूली पर रोक लगायी गयी और ₹ 16.08 लाख की राशि का अपलेखन संभावित था। शेष ₹ 1.77 करोड़ के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी है (नवम्बर 2014)।
कुल		**3,016.16**	**1,368.51**	

हमारे द्वारा सक्रिय अनुसरण के बावजूद वर्ष 2013-14 के अन्त में अन्य विभागों से संबंधित संग्रहण हेतु लंबित राजस्व के बकाये की स्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी (नवम्बर 2014)।

1.3 लंबित करनिर्धारण

मूल्यवर्द्धित कर, मनोरंजन कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क तथा कार्य संविदाओं पर करों के संबंध में वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामले, वर्ष के दौरान निष्पादित मामले एवं वर्ष के अंत में निष्पादन हेतु लंबित मामलों का विवरण, जैसा वाणिज्यकर विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया **तालिका - 1.3** में दिया गया है।

तालिका - 1.3

बकाया कर निर्धारण

वर्ष	प्रारंभिक शेष	करनिर्धारण हेतु लंबित नये मामले	कुल लंबित करनिर्धारण	निष्पादित मामले	वर्ष के अंत में शेष	कॉलम 4 से 6 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
2009-10	13,235	56,106	69,341	49,422	19,919	28.73
2010-11	19,919	64,145	84,064	66,874	17,190	20.45
2011-12	17,190	63,515	80,705	50,473	30,232	37.46

तालिका - 1.3

बकाया कर निर्धारण

वर्ष	प्रारंभिक शेष	करनिर्धारण हेतु लंबित नये मामले	कुल लंबित करनिर्धारण	निष्पादित मामले	वर्ष के अंत में शेष	कॉलम 4 से 6 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
2012-13	31,244	58,087	89,331	53,385	35,946	40.24
2013-14	33,505	63,903	97,408	63,519	33,889	34.79

स्रोत: वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड सरकार।

उपरोक्त तालिका से यह देखा गया कि वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान, विभाग द्वारा प्रस्तुत आँकड़े पिछले वर्ष में शेष के रूप में प्रतिवेदित आँकड़े से भिन्न थे। यद्यपि लंबित करनिर्धारणों में भिन्नता का कारण माँगा गया था (अगस्त 2014) तथापि प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2014)। अग्रतर, 31 मार्च 2014 को कर निर्धारण के निष्पादन हेतु 33,889 मामले लंबित थे। इसके फलस्वरूप मामले के कालबाधित होने के कारण राजस्व के उद्ग्रहण में विलंब/राजस्व की हानि होगी।

1.4 विभाग द्वारा पता लगाये गये कर अपवंचन

वाणिज्य कर विभाग द्वारा पता लगाये गये कर अपवंचन के मामले, निष्पादित मामले एवं अतिरिक्त कर हेतु सृजित माँग के विवरण जैसा कि विभाग द्वारा प्रतिवेदित किये गये **तालिका - 1.4** में दिये गये हैं।

तालिका - 1.4

पता लगाये गये करअपवंचन

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2013 तक लंबित मामले	2013-14 के दौरान पता लगाये गये मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें करनिर्धारण/जाँच पूर्ण किया गया एवं अर्थदण्ड सहित अतिरिक्त माँग आदि सृजित किये गये		31 मार्च 2014 को निष्पादन हेतु लंबित मामलों की संख्या
				मामले की संख्या	माँग की राशि	
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	55	148	203	138	2.92	65

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामलों की संख्या से अधिक थी।

1.5 प्रतिदाय मामलों की विचाराधीनता

वर्ष 2013-14 के आरंभ में प्रतिदाय के लंबित मामलों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान स्वीकृत प्रतिदाय तथा वर्ष 2013-14 की समाप्ति पर लंबित मामले, जैसा कि विभाग द्वारा प्रतिवेदित किये गये **तालिका - 1.5** में दिया गया है।

तालिका - 1.5

लंबित प्रतिदाय मामलों का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	मू.व.क./विद्युत पर कर एवं शुल्क	
		मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के आरंभ में लंबित दावे	632	4,348.66
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	26	910.80
3.	वर्ष के दौरान किये गये प्रतिदाय	13	89.49
4.	वर्ष के अंत में लंबित शेष	645	5,169.97
5.	विलम्बित प्रदाय के कारण किया गया ब्याज का भुगतान	शून्य	शून्य

स्रोत: वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना।

2013-14 के आरंभ में लंबित दावों में 2 मामलों एवं ₹ 40.77 लाख का अंतर है। 2012-13 की समाप्ति पर अंतशेष के अनुसार, ₹ 4,307.89 लाख के 630 मामले लंबित थे। यद्यपि भिन्नता का कारण माँगा गया था (अगस्त 2014), जो प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2014)।

झारखण्ड मू.व.क. अधिनियम, यदि प्रतिदाय के दावे का आवेदन नब्बे दिनों से अधिक अवधि तक आधिक्य राशि व्यवसायी को वापस नहीं किया जाता है तो ऐसे आदेश की तिथि से प्रतिदाय की वापसी की तिथि तक छः प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करने का प्रावधान करता है।

बिक्री कर/मू.व.क. के प्रतिदाय मामलों के निष्पादन की प्रगति प्राप्त किए गए दावों की तुलना में अत्यंत धीमी थी।

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया

हम संव्यवहारों की नमूना जाँच करने हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करते हैं तथा निर्धारित नियमावलियों और प्रक्रियाओं के अनुसार लेखाओं और अन्य अभिलेखों के संधारण की जाँच करते हैं। इन निरीक्षणों के पश्चात जाँच के दौरान पाए गए एवं कार्यस्थल पर नहीं निपटाए गए अनियिमतताओं को सम्मिलित करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) भेजे जाते हैं जो अगले उच्चतर प्राधिकारियों को प्रतियों सहित निरीक्षित कार्यालय के प्रमुख को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु जारी किये जाते हैं। कार्यालयों के प्रमुख/सरकार को निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अवलोकनों पर तत्परता से अनुपालन करना, चूक एवं त्रुटियों को सुधारना और प्रारंभिक उत्तर के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी किये जाने की तिथि से एक माह के भीतर अनुपालन भेजना है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएँ विभागों के प्रमुखों और सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं।

दिसम्बर 2013 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों की हमने समीक्षा की और पाया कि 977 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबद्ध ₹ 12,704.36 करोड़ सन्निहित 8,127 कंडिकाएँ

जून 2014 के अंत तक लंबित थी जैसा कि पिछले दो वर्षों के तत्संबंधी आँकड़े सहित **तालिका - 1.6** में नीचे उल्लिखित है।

तालिका - 1.6
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

(₹ करोड़ में)

	जून 2012	जून 2013	जून 2014
लंबित नि.प्र. की संख्या	963	994	977
लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	6,100	6,945	8,127
सन्निहित राशि	9,794.39	10,977.96	12,704.36

1.6.1 30 जून 2014 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा अवलोकनों और सन्निहित राशियों के विभाग-वार विवरण **तालिका - 1.6.1** वर्णित हैं।

तालिका - 1.6.1
निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभाग-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित नि.प्र. की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
1	वाणिज्य कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	211	4,064	4,107.54
		प्रवेश कर	41	96	24.40
		विद्युत शुल्क	21	54	75.73
		मनोरंजन कर आदि	10	10	0.53
2	उत्पाद एवं मद्यनिषेध	राज्य उत्पाद	121	633	577.92
3	राजस्व एवं भूमि सुधार	भू-राजस्व	84	536	1,778.07
4	परिवहन	मोटर वाहनों पर कर	199	1,152	496.60
5	निबंधन	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	120	396	3,644.35
6	खान एवं भूतत्व	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	170	1,186	1,999.22
कुल			**977**	**8,127**	**12,704.36**

2003-04 से दिसम्बर 2013 तक निर्गत 203 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर, जिसे निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत होने की तिथि से एक माह के अंदर कार्यालय प्रमुखों से प्राप्त होना अपेक्षित है, भी प्राप्त नहीं हुए। उत्तरों के प्राप्त नहीं होने के कारण नि.प्र. का वृहत रूप से लंबित रहना इस तथ्य का सूचक है कि कार्यालय के प्रमुखों एवं विभागों के प्रमुखों ने निरीक्षण प्रतिवेदन में हमारे द्वारा इंगित त्रुटियों, चूकों तथा अनियमितताओं को सुधारने के लिए कार्रवाई प्रारंभ नहीं किया।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार लेखापरीक्षा आपत्तियों पर उचित एवं त्वरित दायित्व सुनिश्चित करने हेतु, प्रभावशाली कार्यप्रणाली की संस्थापना हेतु, उपयुक्त कदम उठा सकती है। सरकार ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने

हेतु प्रणाली भी स्थापित कर सकती है, जो निर्धारित समय सीमा के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं का उत्तर भेजने में विफल रहते हैं।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के कंडिकाओं की प्रगति के अनुश्रवण एवं शीघ्र निपटारे के लिए लेखापरीक्षा समितियां स्थापित करती है। वर्ष 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की हुई बैठकें एवं निष्पादित कंडिकाओं के विवरण **तालिका - 1.6.2** में वर्णित हैं।

तालिका - 1.6.2
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण

(₹ लाख में)

राजस्व शीर्ष	संपन्न बैठकों की संख्या	निष्पादित कंडिकाओं की संख्या	राशि
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2	69	2,188.28
मुद्रांक एवं निबंधन फीस	1	37	62.39
राज्य उत्पाद	2	150	3,613.06
वाहनों पर कर	2	56	970.03
भू-राजस्व	3	46	51.90
अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	2	177	7,601.85
कुल	**12**	**535**	**14,487.51**

परिवहन विभाग एवं वाणिज्य कर विभाग से संबंधित कंडिकाओं के निष्पादन की प्रगति निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं के वृहत रूप से लंबित रहने की तुलना में नगण्य था।

1.6.3 लेखापरीक्षा को संवीक्षा हेतु अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण

कर/कर-भिन्न प्राप्तियों से संबंधित कार्यालयों का स्थानीय लेखापरीक्षा कार्यक्रम पर्याप्त रूप से अग्रिम में तैयार किया जाता है और विभाग को सूचनाएं, हमारे लेखापरीक्षा प्रारंभ किये जाने से सामान्यत: एक माह पूर्व, उन्हें संबद्ध अभिलेखों को संवीक्षा के लिए तैयार रखने के लिये जारी की जाती हैं।

वर्ष 2013-14 के दौरान, हमें लेखापरीक्षा हेतु चार विभागों (वाणिज्य कर, परिवहन, राजस्व एवं भूमि सुधार तथा निबंधन विभाग) के 21 कार्यालयों से संबंधित 201 अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। ऐसे मामलों का कार्यालय-वार विवरण **तालिका - 1.6.3** में दिया गया है।

तालिका - 1.6.3

अभिलेखों के अप्रस्तुतिकरण का विवरण

कार्यालय का नाम	लेखापरीक्षा को प्रस्तुत न किये गये करनिर्धारण मामलों/अभिलेखों की संख्या
वाणिज्यकर उपायुक्त, कतरास	23
वाणिज्यकर उपायुक्त, सिंहभूम	3
जिला परिवहन पदाधिकारी, धनबाद	5
भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता(भू.सु.उ.स.), गिरिडीह	3
अंचल कार्यालय, घाटशिला	9
अंचल कार्यालय, धालभूम	8
अंचल कार्यालय, मूसाबनी	5
अंचल कार्यालय, बगोदर	11
अंचल कार्यालय, डुमरी	11
अंचल कार्यालय, धनवार	11
अंचल कार्यालय, जमुआ	11
अंचल कार्यालय, बिरनी	11
अंचल कार्यालय, देवरी	11
अंचल कार्यालय, तिसरी	11
अंचल कार्यालय, गाँवा	11
अंचल कार्यालय, बेंगाबाद	11
अंचल कार्यालय, पीरटांड़	11
अंचल कार्यालय, गाण्डेय	11
अंचल कार्यालय, गिरिडीह	11
अंचल कार्यालय, पोटका	11
जिला अवर निबंधक, साहिबगंज	2
कुल	**201**

1.6.4 प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विभागों का प्रत्युत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं को प्रधान महालेखाकार (प्र.म.ले.) द्वारा, संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा अवलोकनों पर उनका ध्यान आकृष्ट करने एवं छः सप्ताहों के अंदर प्रत्युत्तर भेजने का आग्रह करते हुए, अग्रसारित किया जाता है। विभागों/सरकार से उत्तरों की अप्राप्ति का तथ्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसी कंडिकाओं के अंत में हमेशा दर्शाया जाता है।

दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं एवं एक दीर्घ प्रारूप कंडिका सहित पैंतीस प्रारूप कंडिकाएँ (संकलित कर 28 कंडिकाएँ) मई एवं जुलाई 2014 के बीच संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों के नाम से भेजे गये थे। विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों ने पाँच प्रारूप कंडिकाओं का उत्तर अनुस्मारक (जुलाई एवं अगस्त 2014 के बीच) निर्गत

करने के बावजूद नहीं भेजा और इन्हें विभागों के प्रत्युत्तर के बिना ही इस प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।

1.6.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन - संक्षेपित स्थिति

दिसम्बर 2002 में अधिसूचित लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) की आंतरिक कार्य प्रणाली ने निर्धारित किया कि विधानसभा में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की प्रस्तुति के पश्चात, विभाग लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर कार्रवाई प्रारंभ करेंगे एवं सरकार द्वारा उनपर कृत कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन माह के अंदर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहिए। इन प्रावधानों के बावजूद, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों में असाधारण विलंब किया गया। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2008, 2009, 2010, 2011 एवं 2012 को समाप्त हुए वर्षों के झारखण्ड सरकार के राजस्व क्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित 166 कंडिकायें (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) जुलाई 2009 एवं जुलाई 2013 के बीच राज्य के विधानसभा के समक्ष रखी गयीं। प्रत्येक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के संबंध में इन कंडिकाओं पर कृत कार्रवाई पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ संबंधित विभाग से औसतन तीन माह विलंब से प्राप्त हुए। विभागों से 92 कंडिकाओं के संबंध में कृत कार्रवाई पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ जो प्राप्त नहीं हुई थीं **तालिका - 1.6.5** में वर्णित हैं।

तालिका - 1.6.5

क्र. सं.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समाप्ति का वर्ष	विधानमण्डल में प्रस्तुति की तिथि	कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं	कंडिकाओं की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुईं
1	31 मार्च 2008	10.07.2009	42	27	15
2	31 मार्च 2009	13.08.2010	41	14	27
3	31 मार्च 2010	29.08.2011	26	10	16
4	31 मार्च 2011	06.09.2012	32	23	09
5	31 मार्च 2012	27.07.2013	25	00	25
कुल			166	74	92

लो.ले.स. ने 2007-08 से 2012-13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 52 चयनित कंडिकाओं पर चर्चा की तथा दो प्रतिवेदनों (2008-09 एवं 2009-10) में सम्मिलित वन और खान व भूतत्व विभाग से संबंधित एक कंडिका एवं एक उप-कंडिका पर अपनी अनुशंसाएँ दी। तथापि, लो.ले.स. की इन अनुशंसाओं पर इन विभागों से कृत कार्रवाई पर टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं।

1.7 लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये विषयों को निपटाने हेतु प्रणाली का विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाए गए मुद्दों पर विभागों/सरकार द्वारा ध्यान देने की प्रणाली का विश्लेषण करने के लिये, पिछले दस वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाओं और निष्पादन लेखापरीक्षा पर की गयी कार्रवाई का मूल्यांकन किया गया एवं इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया।

अनुवर्ती कंडिकाओं 1.7.1 एवं 1.7.2 में राजस्व शीर्ष **भू राजस्व** के अंतर्गत वर्ष 2004-05 से 2013-14 के लिए स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान संसूचित मामलों एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित मामलों पर **राजस्व एवं भूमि सुधार वि**भाग की कार्रवाई की चर्चा की गई है।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित 2004-05 से 2013-14 के दौरान निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं की सारांशीकृत स्थिति एवं 31 मार्च 2014 को उनकी स्थिति नीचे **तालिका - 1.7.1** में सारणीबद्ध है।

तालिका - 1.7.1
निरीक्षण प्रतिवेदन की स्थिति

(₹ **करोड़ में**)

वर्ष	प्रारंभिक शेष			वर्ष के दौरान परिवर्धन			वर्ष के दौरान निष्पादन			वर्ष के दौरान अंतिम शेष		
	नि.प्र.	कंडिकाएँ	राशि	नि.प्र.	कंडिकाएँ	राशि	नि.प्र.	कंडिकाएँ	राशि	नि.प्र.	कंडिकाएँ	राशि
2004-05	1,469	4,694	418.26	46	154	74.69	40	160	40.33	1,475	4,688	452.62
2005-06	1,475	4,688	452.62	63	241	107.52	56	203	48.15	1,482	4,726	511.99
2006-07	1,482	4,726	511.99	9	44	68.39	261	1,152	15.63	1,230	3,618	564.45
2007-08	1,230	3,618	564.45	12	85	9.49	128	593	57.06	1,114	3,110	516.88
2008-09	1,114	3,110	516.88	13	75	1,153.23	231	1,009	6.26	896	2,176	1,663.85
2009-10	896	2,176	1,663.85	6	28	1.95	296	881	50.27	606	1,323	1,615.53
2010-11	606	1,323	1,615.53	0	0	0	85	198	7.25	521	1,125	1,608.28
2011-12	521	1,125	1,608.28	10	41	12.68	364	523	245.13	167	643	1,375.83
2012-13	167	643	1,375.83	5	41	250.32	51	162	1.77	121	522	1,624.38
2013-14	121	522	1,624.38	5	101	709.04	9	130	580.22	117	493	1,753.20

2004-05 से 2013-14 की अवधि के दौरान, हमने ₹ 2,387.31 करोड़ वित्तीय प्रभाव के 810 कंडिका अंतर्विष्ट 169 नि.प्र. निर्गत किया। इसी समय में ₹ 1,052.07 करोड़ मौद्रिक मूल्य की 5,011 कंडिकाएँ सन्निहित 1,521 नि.प्र. का विभाग के साथ लेखापरीक्षा समिति की बैठकों एवं नियमित पारस्परिक संपर्क के द्वारा निष्पादन किया गया। वर्तमान में, ₹ 1,753 करोड़ मौद्रिक मूल्य की 493 कंडिकाएँ सन्निहित 117 नि.प्र. निष्पादन हेतु लंबित हैं, जिसमें ₹ 783.49 करोड़

मौद्रिक मूल्य की 344 कंडिकाएँ सन्निहित 95 नि.प्र. पाँच वर्षों से अधिक (2004-05 एवं 2008-09 के बीच) पुरानी हैं।

1.7.2 स्वीकार किये गये मामलों में वसूली

पिछले दस वर्षों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल **राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग** से संबंधित कंडिकाओं की स्थिति, विभाग द्वारा स्वीकार किये गये और वसूल की गयी राशि **तालिका - 1.7.2** में वर्णित हैं।

तालिका - 1.7.2
स्वीकार किये गये मामलों में वसूली

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित कंडिका की संख्या	कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	स्वीकार किये गये कंडिका की संख्या	स्वीकार किये गये कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	वसूल की गयी राशि
2003-04	1	0.43	1	0.43	शून्य
2004-05	2	339.75	1	327.10	शून्य
2005-06	3	0.84	1	0.31	शून्य
2006-07	2	14.46	0	0	शून्य
2007-08	2	200.13	1	0.29	शून्य
2008-09	2	222.81	1	3.67	शून्य
2009-10	1	0.52	1	0.11	शून्य
2010-11	0	0	0	0	शून्य
2011-12	2	14.99	1	4.71	शून्य
2012-13	2	4.45	1	3.94	शून्य

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि स्वीकृत मामलों में भी वसूली की प्रगति विगत दस वर्षों के दौरान शून्य था। स्वीकार किये गये मामलों में वसूली का प्रयास किया जाना चाहिये क्योंकि बकाया संबंधित पक्षों से वसूलनीय है। विभाग/सरकार के द्वारा स्वीकृत मामलों के अनुसरण हेतु कोई तंत्र उपस्थापित नहीं था। तदन्तर, स्वीकार किये गये लेखापरीक्षा अवलोकन सहित बकाये मामले प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे। विभाग द्वारा इस शीर्ष के अंतर्गत कुल राजस्व संग्रहण में 138.47 प्रतिशत वृद्धि का कारण ₹ 129 करोड़ के बकाया का जमा होना बताया गया (जून 2014)। तथापि, 31 मार्च 2013 को विभाग ने मात्र ₹ 19.98 करोड़ बकाया प्रतिवेदित किया।

विभाग, स्वीकार किये गये मामलों में वसूली के प्रयास एवं अनुश्रवण हेतु त्वरित कार्रवाई कर सकती है।

1.8 विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं पर की गयी कार्यवाही

हमारे द्वारा संचालित प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा संबंधित विभागों/सरकार को उनके सूचनार्थ उनके उत्तर प्रस्तुत करने के आग्रह के साथ अग्रसारित किया गया।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हेतु निष्पादन लेखापरीक्षा को अंतिम रूप देते समय निर्गमन सम्मेलन में इन निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर भी चर्चा की गयी तथा विभागों/सरकार के मंतव्यों को शामिल किया गया।

पिछले पाँच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में हमने वित्त, वाणिज्यकर, परिवहन, राजस्व एवं भूमि सुधार, निबंधन, खान एवं भूतत्व, वन एवं सिचाई विभागों के 10 निष्पादन लेखापरीक्षाओं में 55 अनुशंसाएँ की। विवरण **तालिका - 1.8** में वर्णित है।

तालिका - 1.8

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का नाम	अनुशंसाओं की संख्या
2008-09	बिक्री कर से मूल्यवर्द्धित कर में परिवर्तन एवं सू.प्रौ. प्रणाली का अनुप्रयोग	7
	ब्याज प्राप्तियाँ	3
	वन प्राप्तियाँ	6
2009-10	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का कार्यकलाप	4
	सू.प्रौ. पक्ष सहित मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस से प्राप्तियाँ	10
2010-11	अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता	4
	परिवहन विभाग में कम्प्यूटरीकरण	6
	वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से प्राप्तियाँ	4
2011-12	खनन प्राप्तियों के संबंध में खान एवं भूतत्व विभाग का कार्यकलाप	5
2012-13	झारखण्ड में विद्युत शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण	6
कुल		**55**

इन अनुशंसाओं में से, परिवहन विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2014) कि निष्पादन लेखापरीखा ''परिवहन विभाग का कम्प्यूटरीकरण'' की मात्र एक अनुशंसा (चौथी), जो वर्ष 2010-11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित था, अनुशंसा किये जाने के तीन वर्षों के बाद अप्रैल 2014 में लागू किया गया है। अन्य अनुशंसाओं को लागू किये जाने की सूचना विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार बहिर्गमन सम्मेलनों के दौरान निष्पादन लेखापरीक्षा में सम्मिलित की गयी हमारी अनुशंसाओं के विरूद्ध, दिये गये आश्वासनों पर की गयी कार्रवाई/की जाने वाली कार्रवाई के अनुश्रवण हेतु, उपयुक्त कदम उठाने पर विचार कर सकती है।

1.9 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अंतर्गत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा अवलोकनों की पूर्व प्रवृत्तियाँ और अन्य मानदण्डों के अनुसार उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम इकाइयों में वर्गीकृत किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी राजस्व एवं कर प्रशासन यथा बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग (राज्य एवं केन्द्र) का प्रतिवेदन, कर सुधार समिति की अनुशंसाएँ,

पिछले पाँच वर्षों के राजस्व प्राप्ति का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन की विशिष्टताएँ, लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र और पिछले पाँच वर्षों में इसका प्रभाव आदि सम्मिलित होता है।

वर्ष 2013-14 के दौरान, लेखापरीक्षा क्षेत्र में कुल 505 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयाँ थीं जिनमें से 127 इकाइयों की लेखापरीक्षा की योजना बनायी गयी और 125 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी। विवरण **तालिका - 1.9** में वर्णित है।

तालिका - 1.9

लेखापरीक्षा योजना

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	इकाइयों की कुल संख्या	इकाइयाँ जिनके लिये लेखापरीक्षा की योजना बनायी गयी	2013-14 के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयाँ
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	46	25	25
2	वाहनों पर कर	27	20	19
3	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	46	15	15
4	राज्य उत्पाद	23	18	18
5	भू-राजस्व	307	31	30
6	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	50	18	18
7	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम	5	00	00
8	झारखण्ड स्टेट बेभरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	1	00	00
कुल		**505**	**127**	**125**

उपरोक्त अनुपालन लेखापरीक्षाओं के अतिरिक्त **"कार्य/आपूर्ति संविदा पर कर का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण"** तथा **"झारखण्ड में उत्पाद प्राप्तियों का आरोपण एवं संग्रहण"** के दो निष्पादन लेखापरीक्षा और परिवहन विभाग से संबंधित **"वाहन सॉफ्टवेयर में कमियाँ"** पर एक दीर्घ कंडिका भी इन प्राप्तियों के कर प्रशासन की क्षमता की जाँच करने के लिए लिये गये।

1.10 लेखापरीक्षा का परिणाम

वर्ष के दौरान संचालित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2013-14 के दौरान वाणिज्यकर, राज्य उत्पाद, परिवहन, राजस्व एवं भूमि सुधार, निबंधन और खान व भूतत्व विभागों के 125 इकाइयों के अभिलेखों के नमूना जाँच ने 20,230 मामलों में ₹ 2,313.83 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि को दर्शाया। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने हमारे द्वारा इंगित 16,296 मामलों में ₹ 542.57 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें 16,263 मामलों में सन्निहित ₹ 535.45 करोड़ 2013-14 में एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किया गया। विभागों ने 2013-14 में 378 मामलों में ₹ 8.53 करोड़ वसूल किया।

1.11 इस प्रतिवेदन का कार्यक्षेत्र

इस प्रतिवेदन में ₹ 992.05 करोड़ के वित्तीय प्रभाव सन्निहित **"कार्य/आपूर्ति संविदा पर कर का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण"** तथा **"झारखण्ड में उत्पाद प्राप्तियों का आरोपण एवं संग्रहण"** के दो निष्पादन लेखापरीक्षाएँ और परिवहन विभाग से संबंधित **"वाहन सॉफ्टवेयर में कमियाँ"** पर एक दीर्घ कंडिका सहित 28 कंडिकाएँ (उपर संदर्भित स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान एवं पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान पाये गये लेखापरीक्षा अवलोकनों, जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था, से चयनित) हैं जिसमें से ₹ 830.09 करोड़ वसूलनीय है।

विभाग/सरकार ने ₹ 161.96 करोड़ के परिहार्य सैद्धांतिक क्षति सहित ₹ 530.66 करोड़ के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया एवं ₹ 8.49 करोड़ वसूल किया। शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2014)। इनकी चर्चा अनुवर्त्ती अध्याय II से VI में की गयी है।